कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 23-04-2024

विषय:- पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा विभिन्न व्यापारी संगठन के पदाधिकारियों के साथ की गई गोष्ठी

आज दिनांक 23-04-2024 को पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा कैम्प कार्यालय स्थित सभागार में व्यापारी संगठन के पदाधिकारियों व व्यापारियों के साथ गोष्ठी की गई । उक्त गोष्ठी में अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था श्री एस. चन्नप्पा, पुलिस उपायुक्त काशी जोन श्री प्रमोद कुमार, पुलिस उपायुक्त गोमती जोन श्री मनीष कुमार शांडिल्य, पुलिस उपायुक्त वरूणा जोन श्री श्याम नारायण सिंह, पुलिस उपायुक्त यातायात श्री हृदेश कुमार, सहित व्यापार मण्डल के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे ।

उक्त गोष्ठी में वाराणसी व्यापार मण्डल के अध्यक्ष श्री अजीत सिंह बग्गा, महामंत्री श्री कविन्द्र जायसवाल, वाराणसी युवा व्यापार मण्डल के अध्यक्ष श्री संजय गुप्ता, पड़ाव व्यापार मण्डल महामंत्री श्री बृजमणि मिश्रा, वाराणसी स्वर्ण व्यापार मण्डल के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र कुमार सेठ, बरेका व्यापार मण्डल की संरक्षिका श्रीमती योगिता तिवारी, वाराणसी महिला व्यापार मण्डल के अध्यक्ष श्रीमती प्रिया अग्रवाल, वाराणसी व्यापार मण्डल के संरक्षक श्री विजय कपूर एवं व्यापार मण्डल के मीडिया हेड डॉ रमेश पाण्डेय आदि ने प्रतिभाग किया ।

पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा निम्न निर्देश दिये गये –

1. सभी व्यापारियों को बताया गया कि चुनाव आचार संहिता के दृष्टिगत 50,000/- रुपये से अधिक का कैश लेकर न चलें।

2. 50,000/- रुपये से अधिक कैश कैरी करने पर अपने साथ चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित डॉक्यूमेन्ट (पहचान पत्र, लेन-देन से सम्बन्धित प्रमाण, यूज का प्रूफ) रखें, मांगे जाने पर जाँच अधिकारी के समक्ष रखना होगा।
3. 10 लाख रुपये से अधिक कैश होने पर जाँच के लिए आयकर विभाग को सूचित किया जायेगा।
4. स्वर्ण व्यवसायी अन्जान व्यक्तियों से सोने-चाँदी की खरीद न करें एवं संदिग्ध प्रतीत होने वाले ऐसे व्यक्तियों के संदर्भ में तत्काल पुलिस को सूचना दें।
5. व्यवसायीगण अपने प्रतिष्ठान/दुकान के सामने अतिक्रमण न करें व अपने वाहनों को पार्किंग स्थल पर ही खड़ी करें।
6. व्यापारियों से अपील की गई कि अपने-अपने प्रतिष्ठानों व घरों के सामने इस प्रकर से सीसीटीवी लगाये कि सड़क से दुकान में प्रवेश करने वाले व्यक्ति का चेहरा व गाड़ी कैप्चर हो जाये।
7. व्यापारीगण द्वारा बताये जाने पर कि जानकारी के अभाव में पार्किंग, नो पार्किंग, वन वे आदि में चालान हो जाते हैं इसके दृष्टिगत नगर निगम / पीडब्ल्यूडी आदि सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर निर्धारित स्थानों पर पार्किंग, नो पार्किंग, वन वे आदि के साइन बोर्ड लगाये जायेंगे।
8. व्यापारीगण द्वारा चौराहों पर लगे ट्रैफिक लाइट में टाइमर न होने के सन्दर्भ में बताया गया। शीघ्र ही टाइमर वाले ट्रैफिक सिग्नल लगाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया जायेगा।
9. व्यापारीगण को बताया गया कि अपने स्थानीय थानाध्यक्ष का मोबाइल नम्बर अपने पास रखें व जाम आदि की सूचनाओं से उन्हें अवगत करायें।
10. यातायात व्यवस्था हेतु प्रत्येक चौराहों के लिए बनाये गये सलाहकार कमेटी में शामिल हो व उसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभाये।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त,
वाराणसी।